

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशाल संख्या:- 623/2022

निर्णय दिनांक :- 15/6/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. गीता देवी पुत्री सत्यनारायण जाति खटीक निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. छोटी देवी पत्नी स्व0 सत्यनारायण जाति खटीक निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. भागचन्द पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. ममता पुत्री सत्यनारायण जाति खटीक निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. लाली पुत्री सत्यनारायण जाति खटीक निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. हेमराज पुत्र सत्यनारायण जाति खटीक निवासी संधली तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)


-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री प्रकाशचन्द जैन
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 493 खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.07 है, खसरा नम्बर 209 रकबा 0.49 है, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.78 है वाके ग्राम संधली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके हैं। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की



संभावना है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।


तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1571 के कुछ भू-भाग पर दुकान व मकान बना हुआ होना बताया है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1571 मकान व दुकान बनी है जिस पर पत्थरगढी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। खसरा नम्बर 209 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.78 है स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्बत् 2073-76 में अंकित खाता संख्या 493 खसरा नम्बर 209 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.78 है वाके ग्राम संधली तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली